राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

<u>पंचायत राज चुनाव:</u>

पंचायत आम चुनाव की प्रक्रिया 7 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रारम्भ होगी

- गुप्ता

झुंझुनू, एक जनवरी: जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झुंझुनू जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की प्रक्रिया 7 जनवरी को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रारम्भ हो जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले में प्रथम चरण में सूरजगढ़ व झुंझुनू पंचायत समिति, द्वितीय चरण में अलसीसर, उदयपुरवाटी व बुहाना पंचायत समिति और तृतीय चरण में चिड़ावा, नवलगढ़ व खेतड़ी पंचायत समिति के चुनाव कराये जाएंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी के.एल. मीणा ने बताया कि 7 जनवरी को पंचायती राज चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद 9 जनवरी तक पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के नामांकन पत्र प्रात: 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 जनवरी को प्रात: 11 बजे से की जायेगी और 12 जनवरी को 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस लिये जा सकेंगे। इसके तत्काल बाद चुनाव लड़ने वाले पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को चुनाव चिन्ह आवंटित करके सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा। इन चुनावों के लिए प्रथम चरण मतदान हेतु मतदान दलों की रवानगी 19 जनवरी को प्रात: 8 बजे से तृतीय प्रशिक्षण के बाद की जायेगी और 20 जनवरी को पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा। इस दौरान प्रथम चरण के पंच व सरपंच चुनाव के लिए 21 जनवरी को प्रात: 8 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे और तत्पश्चात इसी दिन 11.30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी तथा इसी दिन अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे और नाम वापसी के तुरन्त बाद पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। पंच सरपंच के लिए 22 जनवरी को प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा और मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद पंचायत मुख्यालय पर ही मतों की गणना करने के बाद परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे। 23 जनवरी को अपराह्न 11.30 बजे तक उप सरपंच का चुनाव कराया जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण में अलसीसर, उदयपुरवाटी व बुहाना पंचायत समिति क्षेत्र के पंच सरपंच और पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों के चुनाव कराये जाएंगे। इन चुनावों के लिए मतदान दलों को 28 जनवरी को प्रातः 8 बजे अन्तिम प्रशिक्षण देने के बाद रवाना किया जायेगा। 29 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान कराया जायेगा। पंच सरपंच के चुनाव के लिए 30 जनवरी को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे और इसी दिन 11.30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और अपराह्व 3 बजे तक पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन नाम वापसी के तुरन्त बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जायेगी और पंच सरपंच के लिए 31 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा। मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद पंचायत मुख्यालय पर मतों की गणना करके परिणाम घोषित किये जाएंगे। उप सरपंच का चुनाव अगले दिन एक फरवरी को प्रातः 11.30 बजे तक करवाया जायेगा।

उन्होंने बताया कि तृतीय (अन्तिम) चरण में जिले की चिड़ावा, नवलगढ़ और खेतड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के पंच सरपंचों, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव कराये जाएंगे। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के मतदान दलों के कार्मिक ही तृतीय चरण का मतदान कराने के लिए निर्धारित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना होंगे और 2 फरवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवायेंगे। तीन फरवरी को पंच सरपंच के नामांकन पत्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे और 11.30 बजे से इनकी जांच की जायेगी तथा अपराह्व 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी के तुरन्त बाद पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जायेगी और 4 फरवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक इन पदों के लिए मतदान कराया जायेगा। मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद पंचायत मुख्यालय पर ही मतों की गणना के परिणाम घोषित किये जाएंगे और अगले दिन 5 फरवरी को प्रातः 11.30 बजे तक उप सरपंच का चुनाव कराया जायेगा। इसके बाद सभी मतदान दल वापस लौट आएंगे। जिले की आठों पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना जिला मुख्यालय पर 8 फरवरी को प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ की जायेगी।

जिला प्रमुख व प्रधान के चुनाव 10 फरवरी को कराये जाएंगे

झुंझुनू, एक जनवरीः जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने बताया कि जिले के जिला प्रमुख एवं आठों पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव 10 फरवरी को व उप जिला प्रमुख व उप प्रधानों के चुनाव 11 फरवरी को कराये जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रमुख के चुनाव के लिए 10 फरवरी को और उप जिला प्रमुख के चुनाव के लिए 11 फरवरी को बैठक आयोजित की

जायेगी। इसी प्रकार पंचायत समिति प्रधान के चुनाव के लिए 10 फरवरी को व उप प्रधान के लिए 11 फरवरी को बैठक आयोजित होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान के चुनाव के लिए बैठक का समय प्रात: 10 बजे रहेगा और प्रात: 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे व पूर्वाह्न 11 बजे तक उनकी जांच की जायेगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपराह्न एक बजे तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे और नाम वापसी के तुरन्त बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करके उनकी सूची जारी कर दी जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो निर्धारित तिथि को अपराह्न 3 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा और मतदान के तुरन्त बाद मतों की गणना करके परिणाम घोषित कर दिये जाएंगे।

लाउड स्पीकर, पोस्टर एवं बैनर आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबन्धित आदेशों की पालना कराने के निर्देश

झुंझुनू, एक जनवरी: जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नियुक्त सभी रिटर्निंग अधिकारियों को पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लाउड स्पीकर, पोस्टर एवं बैनर आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध विषयक आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है। आदेशानुसार पंचायती राज चुनाव के दौरान किसी भी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह या नारे दर्शाने वाले कट आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर आदि प्रदर्शित करना प्रतिबन्धित है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अधिकतम 20 हजार रूपये, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में 10 हजार रूपये तथा सरपंच के चुनाव में अधिकतम 5 हजार रूपये के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित कर स्थानीय प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही प्रदर्शित कर सकेंगे। बशर्ते कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा लेखा-जोखा आदेश के प्रावधानों के अनुसार ही पेश किया जाये। आदेशानुसार पंचायत समिति एवं सरपंच के चुनाव से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रारूप-क में लेखा-जोखा प्राप्त करने के लिए पंचायत समितिवार नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को तथा जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी यह लेखा-जोखा अपर जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे। ये लेखा परिणाम की घोषणा के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी को प्रस्तुत लेखा सम्बन्धी आपति हो तो वे अगले तीन दिन में अपनी आपति सम्बन्धित के यहां दर्ज कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो अभ्यर्थी नोटिस देने के बावजूद निर्वाचन लेखा प्रस्तुत नहीं करेंगे उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकार रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ताकि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों की पालना में अग्रिम कार्यवाही कर सकें। इन आदेशों की प्रतियां सभी विकास अधिकारियों को

भिजवाकर निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक ग्राम में पोस्टर एवं बैनर लगाने के लिए सार्वजनिक स्थलों का चयन कर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनकी मांग पर वे चिन्हित स्थल उपलब्ध कराये तथा इन स्थलों की सूची सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) के यहां भिजवाना सुनिश्चित करें।